लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश
गौतम नगर, भोपाल

दूरभाष: 0755-2583850, फैक्स: 2583651, ई-मेल: coord-dpi@mp.gov.in

क्रमांक/समन्वय/बी/2019/ 175 भोपाल, दिनांक 19/9/19.

प्रति,

1. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक
   लोक शिक्षण मध्यप्रदेश।
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
   म0प्र0।

विषयः— वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग दिनांक 09.09.2019 का कार्यवाही विवरण।

विषयांतर्गत दिनांक 09.09.2019 को आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग का कार्यवाही हेतु विवरण आवश्यक कार्यवाही संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित है।

कृपया कार्यवाही विवरण में दिये गये निर्देशानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जावे।

संलग्नः— उपरोक्तानुसार

(गौतम सिंह)
संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

पृष्ठाक्रमांक/समन्वय/बी/2019/ 176 भोपाल, दिनांक 19/9/19

प्रतिलिपिः—

1. प्रमुख सचिव म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल।
2. वरिष्ठ निज सहायक, आयुक्त/संचालक, लोक शिक्षण (स्थानीय)।
3. संचालक राज्य शिक्षा केंद मध्यप्रदेश भोपाल।
4. समस्त कलेक्टर मध्यप्रदेश।
5. संबंधित अधिकारीगण लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

दिनांक 09.09.2019 को आयोजित वीडियो कान्फ्रेंसिंग का कार्यवाही विवरणः–

दिनांक 09.09.2019 को वल्लभ भवन स्थित एन.आई.सी.कक्ष में अपरान्ह 4.00 से 5.30 बजे तक वीडियो कान्फ्रेंसिंग संचालक, लोक शिक्षण की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, जिला शिक्षा अधिकारी एवं संचालनालय के अधिकारीगण उपस्थित रहे। बैठक में ऐजेण्डा बिन्दु अनुसार चर्चा की गई।

1. **अनुकम्पा नियुक्ति**–अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरणों के संबंध में जिलों से सहायक ग्रेड-3 एवं भृत्य के रिक्त पदों की जानकारी चाही गई, जो कतिपय जिलों से अप्राप्त है – श्योपुरकलां, मुरैना,भिंड, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, दतिया, इन्दौर, धार, झाबुआ, खंडवा, बुरहानपुर, होशंगाबाद, बैतूल, हरदा, जबलपुर, कटनी, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर को जानकारी शीघ्र भेजने के निर्देश दिए गए। सभी संभागीय एवं जिला अधिकारियों को सभी अनुकम्पा नियुक्ति के लंबित प्रकरणों में आवेदकों के दस्तावेज पूर्ण कराने के निर्देश दिये गये। यदि जिलों में पद रिक्त है तो अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरणों को लंबित न रखा जाए। इस प्रकार के नियुक्ति के प्रकरणों में पूर्ण संवेदनशीलता एवं तत्परता के निर्देश दिए गए।

छतरपुर जिले में जितेन्द्र प्रकाश खरे का अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरण लंबित है। इस प्रकरण मे कार्यवाही कर अवगत कराने के निर्देश दिए गए। निर्देश दिए गए कि जिला कलेक्टर द्वारा ली जाने वाली समय सीमा की बैठक में जिले में पद रिक्त नहीं होने की जानकारी से कलेक्टर को अवगत कराऐं एवं लिखित में लेकर संचालनालय को लिखकर भेजें ताकि लंबित प्रकरण अन्य जिले में भेजने हेतु शासन से एनओसी प्राप्त की जा सके। जिला शिक्षा अधिकारी, छिंदवाड़ा द्वारा अवगत कराया है कि एक आवेदिका द्वारा नर्स पद पर नियुक्ति चाही गई है। उन्होंने शिक्षा विभाग से इस संबंध में एनओसी चाही है। प्रकरण संचालनालय को भेजने के निर्देश दिए गए ताकि एनओसी प्राप्त करने हेतु प्रकरण शासन को भेजा जा सके।

2. **निःशुल्क साईकिल वितरण योजना**–अभी तक लगभग साढ़े चार लाख साईकिले प्रदाय की जा चुकी है। सभी अधिकारी स्वयं इस कार्य की मॉनिटरिंग करें एवं सभी पात्र छात्र–छात्राओं को साईकिल का प्रदाय समय पर हो जाए यह सुनिश्चित करें, कि कोई पात्र वंचित न रह जाए। साईकिल प्रदाय से शाला में छात्रों की उपस्थिति में वृद्धि होगी। साईकिल की गुणवत्ता को लेकर यदि कोई समस्या आ रही है तो तत्काल संचालनालय को पत्र लिखकर अवगत कराऐं। जिन जिलों में साईकिल प्रदाय का कार्य पूर्ण हो गया है, शतप्रतिशत बच्चों को साईकिल प्राप्त हो गई है एवं अभी साईकिले बची हैं वे जिला अधिकारी संभागीय संयुक्त संचालक के माध्यम से संचालनालय को लिखित में अवगत कराऐं ताकि अन्य जिलों की साईकिल की मांग को पूरा किया जा सके। इस संबंध में संचालनालय से एक निर्देश भी शीघ्र जारी किया जाएगा। निर्देश दिए गए कि सितंबर माह तक साईकिल वितरण का कार्य शतप्रतिशत पूर्ण हो जाए।

3. **विभागीय जांच**–विभागीय जांच के प्रकरणों में बहुत ही संवेदनशील स्थिति होती है। विभागीय जांच में जांच अधिकारी द्वारा अपचारी को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से यदि अनावश्यक विलंब किया जाता है तो यह शासन हित में नहीं है। विलंब किए जाने पर

जांच अधिकारी के विरुद्ध भी कार्यवाही की जा सकती है। अतः सभी यह सुनिश्चित करें कि अपचारी को समय पर आरोपपत्रादि जारी किए जाए। ग्वालियर जिले में श्रीमती चन्द्रकान्ता कुमार से संबंधित प्रकरण में लोकायुक्त कार्यालय से भी जानकारी चाही गई है। इसी प्रकार देवास जिले में श्री मसूरी के विभागीय जांच का प्रकरण दीर्घावधि से लंबित है। यह गबन का मामला है। शीघ्रता से संचालनालय को जानकारी भिजवाएं। इसी प्रकार सीधी जिले में श्री श्यामकिशोर तिवारी के संबंध में आरोप पत्र अभी तक जारी नहीं किए गए हैं। तीन दिवस में आरोप पत्र का प्रारूप भेजें।

जिन प्रकरणों में न्यायालय द्वारा दंडित किए जाने के आदेश पारित हुए हैं एवं ऐसे मामले संभाग/जिला स्तर पर अनावश्यक लंबित न रखा जावे। ~~अधिकारियों को संचालनालय द्वारा दंडित किया जायेगा~~

यदि कोई शासकीय कर्मचारी लंबे समय से लापता है तो सामान्य प्रशासन विभाग के स्पष्ट निर्देशों के अनुसरण में कार्यवाही की जावें। रीवा संभाग में विभागीय जांच प्रकरण काफी समय से लंबित होने के कारण विधानसभा आश्वासन भी लंबित है। निर्देश दिए गए कि लंबित विभागीय जांच प्रकरणों को तत्परता से निपटाया जाए ।

4. **सीएम.हेल्पलाईन**–प्रदेश में सीएम.हेल्पलाईन के दस हजार से ज्यादा प्रकरण लंबित हैं। छात्रवृत्ति के प्रकरण आवंटन की प्रक्रिया के कारण वित्त कक्ष में लंबित है। संयुक्त संचालक, वित्त से सम्पर्क कर आवंटन प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है। संचालनालय स्तर पर अन्य किसी शाखा से संबंधित कोई प्रकरण लंबित है तो उसकी जानकारी तत्काल भेजें, ताकि निराकरण की कार्यवाही की जा सके। सागर संभाग द्वारा सीएम हेल्पलाईन के प्रकरणों में बहुत अच्छा कार्य किया गया है। उक्त संभाग के अधिकारियों की प्रशंसा की गई। संचालक ~~महोदय~~ द्वारा संयुक्त संचालक, सागर से इस संबंध में किए गए प्रयासों से प्रदेश के सभी अधिकारियों को अवगत कराने को कहा गया। उनके द्वारा अवगत कराया कि प्रतिदिन कार्यालय प्रारंभ होने पर पेंडिंग प्रकरणों की समीक्षा की जाती है एवं साथ उनके निराकरण की कार्यवाही की जाती है। सभी अधीनस्थ अधिकारियों को प्रकरणों के निराकरण की जिम्मेदारी दी गई है, जिससे लंबित प्रकरणों का निराकरण आसानी से हो रहा है।

सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि सागर की ही भांति सी.एम.हेल्पलाईन के प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर निराकरण की कार्यवाही सुनिश्चित की जावे। जिन प्रकरणों का संबंध शिक्षा विभाग से नहीं है उन्हे अन्तरित किया जावे।

5. **शाला भवन एवं छात्रावास निर्माण** –अवगत कराया गया कि विगत दिनों माननीय मंत्री जी ने भवन निर्माण कार्यों की समीक्षा की थी। समीक्षा के दौरान यह बात सामने आई कि कुछ भवन अपूर्ण है तथा कुछ की क्वालिटी बहुत खराब है। सभी अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि किसी के दबाव में आकर अपूर्ण भवन एवं घटिया निर्माण कार्य को स्वीकार नहीं किया जाना है। पूर्णतः संतुष्ट होकर ही भवन का पजेशन लेना है। शाला भवन, छात्रावास निर्माण हेतु जिन जिलों में सरकारी जमीन प्राप्त न होने की समस्या आ रही है वहां जिला शिक्षा अधिकारी स्वयं जिला कलेक्टर से सम्पर्क कर समस्या का समाधान कराएें।

6. सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे अपने जिले की विद्युत सुविधा विहीन शालाओं की जानकारी संचालनालय को भेजे। अपने जिले के विद्युत देयक के भुगतान हेतु राशि का मांगपत्र एकजाई कर संचालनालय को भेजे ताकि भुगतान हेतु जिलावार राशि का वितरण किया जा सके।

7. जो शालाए किराए के भवन में संचालित है, उनके किराए के भुगतान के लिए प्रकरण संचालनालय को भेजे ताकि किराए की राशि के भुगतान की कार्यवाही की जा सके।

8. विभिन्न राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं हेतु खिलाडियों के साथ भेजे जाने वाले कोच/मेनेजर आदि को अच्छी तरह देख परख कर भेजे जो अपनी पूर्ण जिम्मेदारी से खिलाडियों को लाए एवं ले जाए ताकि खिलाडियों के साथ कोई अप्रिय स्थिति निर्मित न हो। एस.जी.एफ.आई. के द्वारा खेलो इंडिया में 16 खेल है। इन सभी खेलों की प्रतियोगिताऐं दिनांक 15 नवंबर तक पूर्ण हो जाए यह सुनिश्चित किया जाए। राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में भी बालिकाओं के आवास, परिवहन, कोच/मेनेजर आदि संबंधी व्यवस्थाओं हेतु संभागीय संयुक्त संचालक स्वयं व्यक्तिगत रुचि लेकर उनकी सुरक्षा की पूर्ण जिम्मेदारी का निर्वहन करें।

9. **स्थानान्तरण–** अध्यापक (उच्च मा.शि./मा.शि./प्रा.शि.) संवर्ग के स्थानान्तरण के संबंध में जिलावार समीक्षा की गई। कुछ जिलों में यह बात ध्यान में आई है कि बहुत से शिक्षकों को कार्यमुक्त एवं ज्वाइन नहीं कराया गया है, इसके कारणों की समीक्षा की गई एवं मार्गदर्शन प्रदान किया गया। स्थानान्तरण निरस्त करने के लिए संकुल प्राचार्य उन शिक्षकों को होल्ड पर डाले जो स्थानान्तरण निरस्त करवाना चाहते हैं एवं अभी तक स्थानान्तरित संस्था में कार्यभार ग्रहण नहीं किया है। अभी तक कुल 2200 स्थानान्तरण आदेश निरस्त किए गए हैं। सभी अधिकारी यह देख लें कि जहां रिक्त पद उपलब्ध नहीं है एवं अन्य कोई समस्या आ रही है ऐसे प्रकरणों को संचालनालय से मार्गदर्शन/अनुमोदन प्राप्त कर कार्य शीघ्र ही पूरा किया जाना है। स्थानान्तरण संबंधी समस्त कार्य पूर्ण होने पर ही रिक्त पदों की स्थिति स्पष्ट हो पायेगी उसके पश्चात ही नई भर्ती संबंधी प्रकिया प्रारंभ की जा सकेगी।

अन्त में धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त की गई।

(गौतम सिंह)
संचालक
लोक शिक्षण,म.प्र.